डीजी परिपत्र संख्या - 33 /2017

सुलखान सिंह,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1 तिलक मार्ग, लखनऊ।
दिनांकः लखनऊः सितम्बर 12 ,2017

विषयः-रिट पिटीशन(सिविल) 754/2016 तहसीन एस पूनावाला बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 06.09.2017 को पारित आदेश के कियान्वयन के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय,

माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 06.09.2017 को पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत हैं :

After referring to the same, it is urged by her that the law and order enforcing agencies of the States have great responsibility not only to register the First Information Report(FIR) after the incident takes place but also see to it that groups or a class of people do not take the law into their hands and indulge in vigilantism. Additionally it is her submission that under Article 256 of the Constitution of India, it is the obligation of the Central Government to issue directions to the States so that the concept of cooperative federalism is sustained and remains stable.

States will nominate a senior police officer of the Police Department as the Nodal Officer in each District, who shall ensure that these vigilantes do not take law unto themselves or behave in a manner that they are the law in themselves. If any kind of deviancy takes place, the said Nodal Officer shall take action and such vigilantes are booked in accordance with law with quite promptitude.

As far as Highway patrolling is concerned, the Chief Secretary of each State, in consultation with the Director General of Police shall take steps and file affidavits by the next date of hearing.

As far as the other States are concerned it is directed that each of them shall nominate a senior Police Officer qua each District as Nodal Officer, who shall see to it that these vigilantes do not take law unto themselves and the deviants in law are booked quite promptly.

1. माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त निर्णय के अनुपालन के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने अधीन जनपद में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जो अपर पुलिस अधीक्षक अथवा पुलिस उपाधीक्षक से निम्न स्तर का न हो, को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाये, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी "Vigilantes" कानून को अपने हाथ में लेकर कोई अपराधिक गतिविधि न कारित कर सके। यदि ऐसा पाया जाये तो नोडल अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे "Vigilantes" के विरूद्ध विधि अनुसार समुचित कार्यवाही करायें।

2. उक्त के साथ यह भी निर्देशित करें कि हाईवे अथवा सड़क मार्ग पर पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि हाईवे अथवा सड़क मार्ग पर ऐसे "Vigilantes" की अपराधिक गतिविधियाँ पूर्णतः रोकी जायें।

हाइवे पेट्रोलिंग के सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर से पूर्व में समय-समय पर परिपत्र/पत्र आप समस्त को निर्गत किये गये हैं का भी अनुपालन करें।

कृपया नामित नोडल अधिकारियों के नाम जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक को तीन दिन में भेज दें। जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक उ0प्र0 अपने जोन की पूर्ण सूची मुख्यालय को तदुपरान्त अतिशीघ्र भेजें।

पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र एवं जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक इन निर्देशों का अक्षरशः पालन करायें।

भवदीय,

12/9/17

(सुलखान सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद,
<u>उत्तर प्रदेश</u>।

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. पुलिस महानिदेशक, अभियोजन उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून-व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।